



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 1989/कार्तिक 11, 1911
No. 724] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1989/KARTIKA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989

का.प्रा. 900 (अ).— कयर बोर्ड द्वारा, कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारी सेवा-शर्तें और लेखाओं का बनाए रखना) उपविधि, 1983 की उपविधि 15 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाई गई और केन्द्रीय

सरकार द्वारा पुष्ट की गई निम्नलिखित उपविधियों को, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, अर्थात्—

1. (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड (सेवा) (दूसरा संशोधन) उपविधि, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कयर बोर्ड (सेवा) उपविधि, 1983 की अनुसूची में, सहायक के पद के सामने, स्तंभ 9 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“50% प्रोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा”।

[फा.सं. 7 (10)/88-कयर]

आर.के.सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल उपविधि का आ.सं. 4481, तारीख 25 नवम्बर, 1983 द्वारा अधिसूचित की गई थी और उनका आ.सं. 187 (अ), तारीख 15 मार्च, 1989 द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1989

S.O. 900(E).—The following bye-laws made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with bye-law 15 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1983 and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of section 27 of the said Act, namely :—

1. (1) These bye-laws may be called the Coir Board (Services) (Second Amendment) Bye-laws, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, against the post of Assistant, for the entries under column 9, the following shall be substituted; namely :—

“50% by promotion, and 50% by direct recruitment”.

[F. No. 7(10)/88-Coir.]

R.K. SINHA, Jt. Secy.

NOTE :—The principal bye-laws were notified vide S.O. No. 4481 dated the 25th November, 1983 and has been amended vide S.O. No. 187(E) dated the 15th March, 1989.